

7617

पत्रावली आज राजन्व कैम्प कोर्टे हाप्रला में
पेश हुई। चूंकि मूल वाद खारिज किया
जा चुका है। अब इस आवेदन में आगे
की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा।
अतः इस आवेदन में आगे की कार्यवाही का
कोई औचित्य नहीं रहा इसलिए आगे
इसी स्तर पर कार्यवाही समाप्त की जाकर
इस न्यायालय द्वारा जारी एकात आदेश दि
13.10.16 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दाखिल व्यक्त हो।

सहायक कलक्टर
चौहटन